

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 487 / FP/UK/ROAD/38635/2019 दिनांक: देहरादून 10 अगस्त, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29.06.2021 महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 29.06.2021 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 568/12-1 दिनांक 29.07.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No 03 name if area mentioned in DFO's Sir is village nauli but at para L in part I and para 13 in part li the name of the CA area is mentioned as village mayadi and birsan state govt. may submit clarification in this regard further date of inspection is also not mentioned.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि निरीक्षण आख्या एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण प्राकलन पार्ट II के कालम 13 में अपलोड किया गया है।
2	In reply to point no. 4 name of CA area still not mentioned in CA scheme state govt. may submit/upload the CA scheme mentioning the name of the proposed CA area.	The Objection has been corrected and uploaded online.
3	It has been noticed that the cutton work done in starting part of proposed road and as per bar chart the same is reserve forest area. State govt. may submit a detailed report of the concerned DFO in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण में मोटर मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण में किसी भी प्रकार से आरक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 487 / FP/UK/ROAD/38635/2019 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 568/12-1 दिनांक 29.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी, (चमोली)।

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c